रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-37/2025/694/22-2-2023-17(557)/2023
लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी धनीराम चौहान (बन्दी संख्या-61/2021) पुत्र श्री दर्शन चौहान, निवासी-ग्राम-सिकड़ीकोल, थाना-मधुबन, जनपद-मऊ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-100/2014 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, न्याय कक्ष संख्या-02, मऊ के आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.03.2022 तक 07 वर्ष, 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष, 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 05.03.2022 तक 67 वर्ष 04 माह 11 दिन है। बन्दी की 67 वर्ष से अधिक आयुए बन्दी द्वारा अपरिहार 07 वर्ष 11 माह 01 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष 06 माह 07 दिन की भोगी गयी सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेटए मऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-37/2025/694(1)/22-2-2023-17(557)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मऊ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।